योजना का क्रियान्वयन 5

बीकानेर शहर के लिए योजना बनाना, वहाँ की जनता के लिए रहने और कार्य करने की दिशा में प्रयत्नों का आरम्भ करना मात्र है। जब यह योजना सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित कर दी जाती है। तो यह एक कानूनी दायरें में आ जाती है। और इस योजना को लागू करने के लिए विकास करने वाले संस्थाओं को इसके अनुसार कार्य करने होत हैं।

किसी योजना को उसके वास्तविक स्वरूप को देने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यावहारिक हो। अधिकतर योजनाओं के असफल होने का कारण यह नहीं था कि वे अवास्तविकता के आधार पर थीं। परन्तु उनके लागू करने की दिशा में तत्काल विश्वास कर उन्हें अंतिम, वास्तविक रूप देने में संचेत रहकर प्रयास नहीं किए गए। योजना का क्रियान्वयन उसके कार्यकलापों को, कार्यों में परिणित करने का है ताकि, उनको लागू किया जा सके न कि केवल देखने मात्र से ही हो। सफल क्रियान्वयन के लिए कानूनी संरक्षण, प्रशासनिक संस्थान, तकनीकी सुझाव और वित्तीय साधनों का होना आवश्यक है। इसके लिए जनता का पारस्परिक सहयोग होना अति आवश्यक है। इन प्रयत्नों से ही बीकानेर में रहने और कार्य करने हेतु लोगों के लिए एक प्रभावशाली एवं आकर्षित स्थान बन सकता है। मास्टर प्लान के प्रारूप में प्रस्तावित सुझावों को एवं प्रावधानों को सही अर्थों में क्रियान्वित करने व उनको सामान्य जनहित के लिए फलदायी बनाने के लिए कानूनी संरक्षण व एक प्रभावशाली प्रशासनिक संस्था का होना आवश्यक है। अतः मास्टर प्लान के पहलुओं को सुचारू रूप से लागू करने व सरकारी एवं गैर सरकारी इकाइयों के पास्परिक सहयोग की दृष्टि से एक उपयुक्त संस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा एक संगठित संस्था के सृजन की सिफारिश की गयी है जो सार्वजनिक हित एवं सुव्यवस्थित विकास में तालमेल बैठा सके।

वर्तमान में, नगर परिषद बीकानेर, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 1959 के तहत एवं नगर विकास न्यास, बीकानेर, राजस्थान, नगर सुधार अधिनियम, 1959 के तहत अपने-अपने क्षेत्राधिकार में विकास कार्यों का नियंत्रण एवं क्रियान्वयन कर रही हैं। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम के अन्तर्गत नगर विकास न्यास को

म्यूनिसफल एक्ट के तहत भी कार्यवाही करने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है। लेकिन शहर में ऐसी अनेक सार्वजनिक संस्थाएँ है, जो कि अपने ही क्षेत्रों में अपने निर्धारित एक्ट/अधिनियमों एवं मानदण्डों के आधार पर ही विकास का कार्य करती हैं, जिन पर नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद का कोई नियंत्रण नहीं है अतः मास्टर प्लान के प्रस्तावों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी विभागों एवं स्थानों में पारस्परिक सहयोग एवं तालमेल बहुत जरुरी है ताकि, इस योजना के समस्त क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास किया जा सके। इसके लिए नगर विकास न्यास, नगर नियोजन विभाग एवं नगर परिषद को अधिकतम प्रशासनिक एवं कानूनी अधिकार दिये जाने जरूरी हैं।

5.01 जन सहयोग एवं सहभागिता :-

नगर का सुव्यवस्थित विकास वहाँ की जनता की आकांक्षाओं व प्रयासों पर निर्भर करता है। नगर के मास्टर का मुख्य उद्देश्य वहाँ की जनता के रहने के लिए स्वच्छ वातावरण उत्पन्न करना है। इस मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्य की उपलब्धि के लिए जनता का सहयोग होना अति आवश्यक है। कोई भी योजना बिना जनता के सक्रिय एवं परस्पर सहयोग के अभाव में सफल नहीं हो सकती, जिनके लिए यह योजना तैयार की जाती है। नागरिक की जागरुकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। अतः यह आवश्यक है कि यहाँ के नागरिक इस प्रकार का वातावरण तैयार करने में पूर्ण सहयोग दें।

5.02 उपसंहार :-

मास्टर प्लान नगर के भावी विकास की तस्वीर मात्र है, जिनकी वास्तविकता तभी आंकी जा सकती है जब इससे प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणित किया जावे। वर्तमान व्यवस्था एवं स्थिति में कम से कम परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया है। शहर की सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाओं का प्रस्ताव रखा गया है। मास्टर प्लान बीकानेर नगर की सुविधाओं में सुधार लाने, उनमें सौन्दर्यता प्रदान करने एवं उनको आकर्षक बनाने और सही वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है।

❖ ❖ ❖